

## पाकस्तान ने ऐतहासिक हिंदू विवाह अधियक पारति कथि

### समाचारों में क्यों ?

गौरतलब है कि पाकस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाला ऐतहासिक अधियक अब कानून बन गया है। पाकस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने इस अधियक पर हस्ताक्षर के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी हुए हिंदू विवाह अधियक-2017 को मंजूरी दे दी है।

### भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है यह घटनाक्रम ?

वदिति हो कि कानून से उन हिंदू विवाहों को भी वैधता मलिंगी जो इसके लागू होने से पहले हो चुके हैं। पाकस्तान में अब तक हिंदुओं के विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं मलिंगी हुई थी और यही कारण है कि उनको बच्चों को वहाँ की नागरिकता नहीं मलि पा रही थी। वही, महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है क्योंकि उन्हें पति की संपत्ति में हसिसा पाने का अधिकार नहीं था। इन परिस्थितियों में भारत को प्रायः पाकस्तान से भारी संख्या में वापस आए हिंदुओं के पुनर्वास, अवैध नागरिकता और विभिन्न शरणार्थी समस्याओं से दो-चार होना पड़ता था, हालाँकि इस अधियक के कानून बन जाने के बाद पाकस्तान में हिंदुओं की बढहाली के कम होने की उम्मीद बन रही है।

### महत्त्वपूर्ण बढि

नए कानून के तहत धार्मिक रीति-रिवाज से होने वाले हिंदुओं के विवाह कानूनी रूप से मान्य होंगे। इसके जरूरी हिंदू पति-पत्नी के वैवाहिक अधिकारों, विवाह को रद्द घोषित करने की शर्तों, तलाक, पुनर्विवाह, महिला और बच्चों की आर्थिक सुरक्षा, आपसी सहमति से विवाह खत्म करने पर वैकल्पिक राहत जैसी बातों को कानूनी मान्यता के साथ स्पष्ट कथि गया है। इसमें विवाह के लिये लड़के-लड़की की न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है। इसके अलावा सरकार मैरिज रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी, जहाँ हिंदू अपनी शादियों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह कानून संधि को छोड़कर पूरे पाकस्तान में लागू होगा क्योंकि संधि में पहले से ऐसा कानून मौजूद है।

### नशिकर्ष

1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद, उपमहाद्वीप को दो देशों मुख्य रूप से भारत और पाकस्तान में विभाजित कर दथि गया था, इस बँटवारे ने व्यापक धार्मिक खून-खराबे का रूप ले लथि जिसके कारण हजारों लोग मारे गए और लाखों वसिथापति हुए। वस्तुतः पाकस्तान में पाकस्तानी हिंदुओं के विवाहों को पंजीकृत करने के लिये अब तक कोई आवश्यक कानूनी प्रावधान नहीं बनाए गए थे, अतः पाकस्तान का यह कदम नशिकृति रूप से ऐतहासिक और सराहनीय है।